

## Frequently Asked Questions(FAQ)

### CEN.No.09/2025(Various Posts of Level-1 of 7<sup>th</sup> CPC Matrix)

**Que.1. What is the opening date of Application for CEN No.09/2025?**

**Ans.** The opening date of application is 31.01.2026.

**Que.2. What is the closing date for online submission of Application for CEN No.09/2025?**

**Ans.** The closing date for online submission of application is 02.03.2026 (23:59 hrs.).

**Que.3. What is closing date for payment of online fees?**

**Ans.** The Closing date for payment of online fees of application is 04.03.2026 (23:59 hrs.)

**Que.4. What are the dates for modification of application?**

**Ans.** Modification window will be active from 05.03.2026 to 14.03.2026 If candidates wish to modify, change or correct any details **except** for details filled in the 'Create an Account' form (including e-mail id and mobile number) and **chosen RRB**, they may do so on payment of "online" modification fee of Rs.250/- (non-refundable) for each occasion. **(Please Note:** Details filled in 'Create an Account' form and '**Chosen RRB**' cannot be modified).

**Que.5. My eligibility requirement, final results are expected after 02.03.2026. Can I apply?**

**Ans.** No, candidates waiting for final results of prescribed educational / technical / professional qualifications are **not eligible to apply**. Candidates should possess prescribed educational /technical / professional qualifications on or before the closing date for online submission of application for this CEN.

**Que.6. What are the requirements to 'Create an Account'?**

**Ans.** Candidates should have their **own mobile number** and a valid & active personal e-mail ID.

**Que.7. I have created an account for CEN 08/2024 or subsequent CENs. Should I create another account for CEN No. 09/2025?**

**Ans.** **NO.** Candidates who have already created an account during any notification published by Railway Recruitment Board in the year 2024 & 2025 are not required to create an Account again. They should log in using the same user name and password to apply for CEN No. 09/2025

**Que.8. What is the procedure to 'Create an Account'?**

**Ans.** Under 'Apply Button', select 'Create an Account', enter all the details asked for including candidate's mobile number and email ID. OTP will be sent to candidate's mobile number and email. The same have to be entered and submitted.

**Que.9. Can I edit the 'Create an Account' details?**

**Ans.** Candidates **CANNOT** edit any details of the 'Create an account' once the account is created. However, in case of genuine reason candidates may send request email to [rrb.help@csc.gov.in](mailto:rrb.help@csc.gov.in) with necessary documents and the case will be examined and suitable decision will be taken. In such cases, the necessary modification will be done at back end and candidates will be informed on their registered email.

**Que.10. What is the next procedure after 'Create an Account'?**

**Ans.** Go to the 'Home' page. Under the 'Apply' tab, select 'Already have an account' from the drop-down menu. Sign in to your account. There are five broad sections: Personal Details, Other Details, Educational Qualification, Upload Profile Documents, Preference and Preview & Submit. After entering personal details, save and proceed to the next section and continue in this manner until candidate reach the last section 'Preference and Preview & Submit' where candidate can finally submit the application. Complete the online fee payment process. Finally, take a printout of the application containing the registration number.

**Que.11. Can mobile be used for filling up of application?**

**Ans.** Some features of application module will not work properly on mobile platform. So, it is advised to Use Desktop/Laptop.

**Que.12. What is the procedure to login?**

**Ans.** Enter registered mobile number and email ID followed by password and captcha and submit.

**Que.13. How many Pay Levels are there in CEN 09/2025?**

**Ans.** There is only **one pay level** in CEN 09/2025 (Level-1).

**Que.14. Can I submit common application for different Posts?**

**Ans.** Yes. Candidates are allowed to apply for the different Posts in same Railways if they fulfill the requirement of educational qualifications.

**Que.15. Can I apply to different RRBs for different posts?**

**Ans.** No. Candidates are allowed to apply for only one RRB as per the Posts they are eligible.

**Que.16. Can I apply to more than one RRB?**

**Ans.** **No**, Applying to more than one RRB will result in the rejection of all applications and will lead to debarment from all future examinations of RRBs and RRCs.

**Que.17. Can I apply multiple applications to same RRB?**

**Ans.** **No**, Multiple applications to same RRB will result in the rejection of all applications and will lead to debarment from all future examinations of RRBs and RRCs.

**Que.18. I have undergone LASIK surgery. Am I eligible to apply?**

**Ans.** Candidates undergone LASIK surgery is conditionally eligible for posts that require Medical Standards A2 and A3 . Please **refer Note of Para 3.0**.

**Que.19. Why Adhaar verification is required?**

**Ans.** ADHAAR validation is required to ensure genuineness of candidature and to curb impersonation during exam. RRBs will not share ADHAAR details with any third party or use them for any purpose other than the objectives of this CEN No: 09/2025.

**Que.20. What should I do, if I don't have Adhaar?**

**Ans.** Candidates can give details of any of the following documents, if they do not have ADHAAR:

- i. Driving License
- ii. Passport
- iii. PAN
- iv. Voter ID
- v. Employee ID(Govt.)
- vi. ID Card of School/College/University (if still studying)

The selected document in online application should be produced during the Computer Based Test, Skill Training Test and Document Verification & Medical Examination etc.

**Que.21. What document should I produce if I have already changed my name?**

**Ans.** Applicants must possess a Gazette Notification or relevant legal documentation for name changes and be prepared to present it upon request during the recruitment process. The same should be submitted at the time of DV. Applicants should also have to fill the original name and the changed name during 'Create an Account'. In such cases, both the names will be reflected in the application.

**Que.22. What should I do if I forgot password to log in My Account?**

**Ans.** Click on the 'Forgot Password' option on the log in page. Enter either your registered **e-mail or mobile Number** along with **your date of birth**. The revised password will be sent to the candidate's registered email address. Candidates must then login using the revised password sent to their registered e-mail. After logging in, Candidates can create a new password by accessing the 'Change Password' option available on the upper right-hand side of the online application page.

**Que.23. Can I change my password?**

**Ans.** Yes. Candidates should first login by using the old password. After logging in, Candidates can then change their old password by accessing the 'Change Password' option available on the upper right-hand side of the online application page.

**Que.24. Can I change my 'Chosen RRB'?**

**Ans.** No. You cannot change the 'chosen RRB' after submission of application.

**Que.25. Can I edit my details during the application process?**

**Ans.** Yes. Any details in the application other than the details entered during 'Create an Account' can be edited till the application is submitted and registration number generated.

**Que.26. Who are eligible for 'Free Travel Authority' (free Railway Pass)?**

**Ans.** Candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe only can avail 'Free Travel Authority' (free Railway Pass).

**Que.27. How do I avail 'Free Travel Authority' (free Railway Pass)?**

**Ans.** This facility is available only to SC/ST candidates. While filling up ONLINE application, such candidates, should choose 'Yes' from the drop down under 'Do you wish to avail free rail travel pass for the exam' and fill up 'Nearest Railway Station'. It is the responsibility of the candidates availing free travel authority to give the correct name of the Railway Station in online application, failing which their travel authority may get rejected while obtaining reservation. They are also required to upload their Caste Certificate.

**Que.28. How can I receive the free travel facility?**

**Ans.** In case of eligible SC/ST candidates, their City Intimation Slip/e-call letter itself will contain the free travel authority (sleeper class railway pass). They will be allowed to book train reservation by submitting a self-attested photocopy of their City Intimation Slip/e-call letter and SC/ST certificate at the ticket booking counter. For further details, refer Para 20.0 (e) of CEN No.09/2025.

**Que.29. I am unable to upload my Caste Certificate.**

**Ans.** Check whether the scanned document is in 'PDF' format and the size is below 500KB.

**Que.30. What is EBC?**

**Ans.** EBC is 'Economically Backward Class'. Economically Backward Class (EBC) candidates are those whose annual family income is less than Rs.50,000/- (or) holders of BPL Card or any other certificate issued by Central Government under recognized poverty alleviation programme (or) holders of Izzat MST issued by Railways. Candidates should not confuse Economically Backward Class with Other Backward Class and Extremely Backward Class.

**Que.31. What are the benefits given to EBC candidates?**

**Ans.** EBC candidates are given 'Fee concession'. Refer Para 7.3 of the detailed CEN No: 09/2025.

**Que.32. I am an EBC. What should I do if I do not have EBC Certificate?**

**Ans.** Candidate should have a valid Income Certificate, as per Annexure III (A) of the detailed CEN, before submission of application. If they do not have Income Certificate as per Annexure III (A), candidates can give details of their BPL card, or any other certificate issued by Central Government under the recognized poverty alleviation program (OR) details of IZZAT MST issued by Railways. Refer Para 7.3 of the detailed CEN No.09/2025 for more details. EBC Certificate/BPL Card/IZZAT MST, valid as on closing date for submission of online application, should be submitted during DV; otherwise, their candidature will be rejected.

**Que.33. Are there reserved posts for EBC?**

**Ans.** No. EBC candidates are eligible only for fee concession. There is no reservation of posts for EBC candidates.

**Que.34. What is the crucial date for reckoning age for this CEN: 09/2025?**

**Ans.** The crucial date for reckoning age is 01.01.2026. Refer Para 5.0, 5.1, 5.2 and 5.3 of the CEN No. 09/2025 for further details.

**Que.35. What is the crucial date to claim SC/ST/OBC/EWS status?**

**Ans.** Candidates seeking reservation on the basis of SC/ST/OBC/EWS status must ensure that they possess the caste/community certificate as on the closing date (02.03.2026) for submission of online application of this CEN. During DV, such candidates should produce their original caste/community certificate (in prescribed format) valid as on the closing date for online submission of application.

**Que.36. What are the criteria for availing reservation under EWS?**

**Ans.** Refer Para 8.13 of the detailed CEN No: 09/2025 available on the official websites of RRBs.

**Que.37. Who all are eligible for Fee Concession?**

**Ans.** SC, ST, Ex-Servicemen, PwBD, Female, Transgender, Minorities and Economically Backward Class candidates are eligible for fee relaxation.

**Que.38. I am currently serving in the Armed Forces. Can I apply as an Ex-Serviceman?**

**Ans.** You can apply as an Ex-Serviceman if you will be released within one year from the closing date for online submission of applications for this CEN (i.e. on or before 02.03.2027). Refer para 10.2 of detailed CEN No: 09/2025.

**Que.39. I have already secured civil employment as an Ex-Serviceman. Am I eligible for Ex-Serviceman benefits against this CEN?**

**Ans.** Ex-Serviceman candidates who have already secured civil employment under Central Government in Group 'C' & erstwhile Group 'D' (including PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks etc.) after availing of the benefits given to Ex-Servicemen will be permitted only the benefit of Age relaxation as prescribed for Ex-Servicemen for securing another civil employment in a higher grade or cadre in Group 'C'/erstwhile Group 'D' under Central Government. Such candidates will not be considered against the vacancies reserved for Ex-Servicemen. Refer Para 10.0 to 10.5 of the detailed CEN No: 09/2025.

**Que.40. Who should produce NOC at the time of Document Verification?**

**Ans.** Ex-Servicemen candidates who have already secured Civil employment, Serving Railway Employees (SRE) and serving employees in Central/State Government /Public Sector Undertakings should produce NOC at the time of Document Verification (DV).

**Que.41. What is the benchmark degree of disability specified for PwBD?**

**Ans.** An applicant will be considered as a Person with Benchmark Disability (PwBD), if the disability is 40% or more. Refer para 11.0 to 11.7 of CEN No: 09/2025.

**Que.42. Can PwBD candidates apply against unreserved vacancies?**

**Ans.** PwBD candidates can also apply against unreserved vacancies of those posts that are not exclusively earmarked for them but the post must be indicated as suitable for their disability in Annexure-A (Post Parameters) of CEN No: 09/2025. They will be eligible for age relaxation and fee exemption while applying for these posts.

**Que.43. How do I know about the suitability of various disabilities for the posts?**

**Ans.** The suitability or otherwise of a post for PwBD has been indicated in the Post Parameters Table (Annexure-A) against each post, under the column "Suitability for Persons with Benchmark Disabilities" with details of specified sub- category of disability.

**Que.44. Who are eligible to avail Scribe facilities?**

- Ans.**
- 1.** In case of persons with benchmark disabilities in the category of Blindness, Locomotor Disability (Both Arm affected – BA) and Cerebral Palsy, the facility of scribe shall be given, if so desired by the person. The candidate can avail the assistance of scribe after submission of letter of undertaking as per Annexure-V(C) at the examination centre.
  - 2.** In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution. The candidate can avail the assistance of scribe after producing the certificate as per Annexure-V(F) and submission of letter of undertaking as per Annexure-V(D) at the examination centre.
  - 3.** The PwBD persons having less than 40% disability (covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act) and having difficulty in writing can also avail the assistance of scribe for writing answers on their behalf after producing the certificate as per Annexure-V(D) and submission of letter of undertaking as per Annexure-V(E) at the examination centre.

**Que.45. Who all are eligible for 'Refund of Fee'?**

**Ans.** Candidates who attend the CBT are only eligible for 'Refund of Fee' (after duly deducting bank charges) as given under Para 7.0 of detailed CEN No. 09/2025. Please note that modification fee is non- refundable.

**Que.46. Please let me know the 'Refund policy' of RRBs.**

**Ans.** Refund policy: By proceeding with payment, the applicant acknowledges and agrees that the Payment Made is non-refundable and applicants cannot raise Chargeback under any circumstances. The refundable portion of the fee (as per Para 7.4 of the detailed CEN) will be applicable only to those candidates who attend the CBT. There will be no refund of examination fee for erroneous, incomplete, or rejected applications and non-attendance of the CBT.

**Que.47. In the application, only matriculation is visible. How do I add my other qualifications?**

**Ans.** Under 'Qualification' select the relevant qualification, fill in the qualification details and click on 'Add' button.

**Que.48. What date should I enter in the application if only the month and year of passing are available on the matric and other qualification certificates?**

**Ans.** In case the date is unavailable on any of the qualification certificates, enter the last date of the month available on the certificate. For example, May-2025 may be mentioned as 31-05-2025.

**Que.49. Which district /state should I mention if district / state have been bifurcated?**

**Ans.** Present district /state may be mentioned since some districts will not be shown for a respective state in lieu of bifurcation, i.e., after bifurcation of Andhra Pradesh in Two states (Andhra Pradesh & Telangana). Districts of combined Andhra Pradesh State have been divided into Andhra Pradesh and Telangana. Moreover, districts of respective states have been further bifurcated. So, present district / state may be mentioned to avoid ambiguity.

**Que.50. What all documents are to be uploaded in total?**

**Ans.** All candidates have to upload their scanned photograph and scanned signature as per prescribed specifications. SC/ST candidates have to upload Caste Certificate in order to avail Free Travel Pass.

**Que.51. What should be size of the documents to be uploaded?**

**Ans.** The caste certificate, in PDF format, should be less than 500KB. Photograph, in JPEG format, should be between 40 KB to 70 KB (minimum 100 DPI resolution)–Scanned Signature, in JPEG format, should be between 30 KB to 70 KB (minimum 100 DPI resolution). All dimensions are displayed in the 'Upload Profile Documents' page itself.

**Que.52. How can I pay the fees?**

**Ans.** The fees can be paid only **ONLINE** through Net banking or Credit Card or Debit Card or UPI services. Processing charges and GST as applicable are chargeable from the candidate in addition to the fees.

**Que.53. What is the fees that I have to remit?**

**Ans.** Refer Para 7.0 of CEN No: 09/2025.

**Que.54. What are the stages of recruitment process?**

**Ans.** Single Stage Computer Based Tests (CBT), Physical Efficiency Test (PET), Document Verification (DV) and Medical Examination (ME). Refer para 14.0 to 14.3 of detailed CEN No: 09/2025.

**Que.55. What is the pattern and syllabus for CBT?**

**Ans.** Please refer Para 14.1 of detailed CEN No: 09/2025.

**Que.56. Will there be negative marking?**

**Ans.** There will be negative marking @1/3<sup>rd</sup> mark for every wrong answer in CBT.

**Que.57. Where should I choose my choice of language for my examination?**

**Ans.** Candidates can choose one language from a list of 15 languages available in the drop-down menu under 'Personal Details' page.

**Que.58. Should I provide the order of preference for all the posts for which I am eligible?**

**Ans.** Yes, candidates are advised to indicate their order of preference for as many posts as they are eligible for in the chosen RRB. Candidates with partial preferences will only be considered for the specific Railway Zones and posts/categories they have opted for, subject to vacancy availability at the time of allotment. If no preference is given for certain posts/categories, it will be considered as their unwillingness for those posts. Once preferences are submitted, they are final, and no changes will be entertained.

**Que.59. Whom should I contact in case of queries related to submission of application?**

**Ans.** Helpline for candidates: For any queries related to submission of Application of CEN No: 09/2025 (10:00 AM to 5:00 PM on all working days)  
Email: rrb.help@csc.gov.in  
Phone: 9592001188, 0172-565-3333

**Que.60. How do I know that my application is finally submitted?**

**Ans.** Final acceptance of ONLINE application will happen only after receiving confirmation of application fee payment. The applicant will receive a confirmation on successful payment through email & SMS.

**Que.61. In case of rejection of my application, will the fee paid by me be refunded?**

**Ans.** No refund of fee will be made on account of rejection of applications.

**Que.62. Can I take the print out of the application?**

**Ans.** Yes. Candidates can take print out of their application after payment of examination fees.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) 09/2025 (लेवल 1)

प्रश्न. 1. सीईएन संख्या 09/2025 के लिए आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि क्या है?

उत्तर- आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 31.01.2026 है।

प्रश्न. 2. सीईएन संख्या 09/2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.03.2026 (23.59 hrs.) बजे है।

प्रश्न. 3. शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 04.03.2026 (23.59 hrs.) बजे है।

प्रश्न. 4. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए तिथियां क्या हैं?

उत्तर - संशोधन विंडो दिनांक **05.03.2026** से **14.03.2026** तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरा गया विवरण और चयनित आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक अवसर पर ₹250/- (अप्रतिदेय) के "ऑनलाइन" संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं।  
(कृपया ध्यान दें खाता बनाएँ फॉर्म में भरा गया विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है)।

प्रश्न. 5. मेरा अंतिम परिणाम 02.03.2026 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर- नहीं। निर्धारित शैक्षणिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यता के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यताएं होनी चाहिए।

प्रश्न. 6. 'खाता बनाएँ' ('Create an Account') के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर- उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और सक्रिय एवं वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना चाहिए।

प्रश्न. 7. मैंने CEN 08/2024 या इसके बाद के CENs के लिए एक अकाउंट / खाता बनाया है। क्या मुझे सीईएन संख्या 09/2025 के लिए एक और अकाउंट / खाता बनाना चाहिए?

उत्तर नहीं। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2024 एवं 2025 में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किसी भी प्रकाशित अधिसूचना के दौरान पहले ही अकाउंट / खाता बना लिया है, उन्हें दुबारा अकाउंट / खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन भरने के लिए उन्हें सीईएन संख्या 09/2025 के लिए उसी यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए।

प्रश्न. 8. 'खाता बनाने' की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - 'Apply Button' के तहत, 'Create an Account' चुनें, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसी को दर्ज करके जमा करना होगा।

प्रश्न. 9. क्या मैं 'खाता बनाएँ' ('Create an Account') का विवरण में संशोधन कर सकता हूँ?

उत्तर - एक बार अकाउंट खाता बन जाने के बाद उम्मीदवार, 'Create an Account' के किसी भी विवरण में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तथापि, किसी वास्तविक कारण की स्थिति में उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों सहित rrb.help@csc.gov.in पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं। ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी तथा उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मामलों में आवश्यक संशोधन बैक-एंड स्तर पर किया जाएगा एवं उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा।

प्रश्न. 10. 'खाता बनाएँ' ('Create an Account') के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - 'होम' पेज पर जाएं। 'Apply' टैब के तहत, ड्रॉपडाउन मेनू से 'Already have an account' चुनें। अपने अकाउंट में साइन इन करें। वहाँ पांच विस्तृत अनुभाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता प्रोफाइल दस्तावेज अपलोड, प्राथमिकता और पूर्वलोकन और जमा। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, उसे सेव करें और अगले अनुभाग पर आगे बढ़ें और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं जब तक कि उम्मीदवार अंतिम अनुभाग 'प्राथमिकता और पूर्वलोकन और जमा करने तक न पहुँच जाए, जहाँ उम्मीदवार अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। अंत में पंजीकरण संख्या अंकित आवेदन का एक प्रिंटाउट रख लें।

प्रश्न. 11. क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं?

उत्तर - ऐप्लिकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएँ हैं जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न. 12. लॉग इन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करने बाद पासवर्ड तथा कैपचा डालें और सबमिट करें।

प्रश्न. 13. सीईएन संख्या 09/2025 में कितने वेतन स्तर हैं?

उत्तर - सीईएन संख्या 09/2025 में केवल एक वेतन स्तर है।

प्रश्न. 14. क्या मैं अलग अलग पदों के लिए संयुक्त आवेदन जमा कर सकता हूँ?

उत्तर - हाँ। आप अलग अलग पदों के लिए एक ही संयुक्त आवेदन जमा कर सकते हैं, यदि आप उन सभी पदों की शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो।

प्रश्न. 15. क्या मैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर - नहीं, पदों में पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों को केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

प्रश्न. 16. क्या मैं एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर - नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा रेलवे भर्ती बोर्ड और आपको रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न. 17. क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर - नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा रेलवे भर्ती बोर्ड और आपको रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न. 18. मैंने LASIK सर्जरी कराई है। क्या मैं आवेदन करने के लिए योग्य हूँ?

उत्तर - Medical Standards A2 एवं A3 के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए LASIK सर्जरी करा चुके अभ्यर्थी सशर्त रूप से पात्र हैं। कृपया पैरा 3.0 की नोट देखें।

प्रश्न. 19. आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर - उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने के बाद और परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण को रोकने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। रेलवे भर्ती बोर्ड आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे अथवा इस सीईएन 09/2025 के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग नहीं होगा/किया जाएगा।

प्रश्न. 20. अगर मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर- यदि उम्मीदवार के पास आधार नहीं है, तो वे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी का भी विवरण दे सकते हैं:

i. ड्राइविंग लाइसेंस

ii. पासपोर्ट

iii. पैन

iv. वोटर आईडी

v. नियोक्ता आईडी (सरकारी)

vi. स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का आईडी (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं)

ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेजों को सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षा, कौशल प्रशिक्षण परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षा आदि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रश्न. 21. यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर - आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए एक राजपत्रित अधिसूचना या संबंधित कानूनी दस्तावेज होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय इसे जमा किया जाना चाहिए। आवेदकों को खाता बनाएँ 'Create an Account' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन में दोनों नाम दर्शाए जाएंगे।

प्रश्न. 22. यदि मैं अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर- लॉग इन पेज पर 'Forgot Password' विकल्प पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि के साथ अपना पंजीकृत ई-मेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। वहां संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पेज के ऊपरी दाईं ओर उपलब्ध 'Change password' विकल्प का उपयोग कर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं।

प्रश्न. 23. क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ?

उत्तर - हां। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पेज के ऊपरी दाईं ओर उपलब्ध 'change password' विकल्प का उपयोग करके अपना पुराना पासवर्ड को बदल सकते हैं।

प्रश्न. 24. क्या मैं अपना 'चयनित आरआरबी' बदल सकता हूँ?

उत्तर - नहीं। आवेदन जमा करने के बाद आप चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को नहीं बदल सकते हैं।

प्रश्न. 25. क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण बदल सकता हूँ?

उत्तर - हां। खाता बनाएँ 'Create an Account' के दौरान दर्ज किए गए विवरण को छोड़कर आवेदन में किसी भी विवरण को तब तक बदला जा सकता है जब तक आवेदन जमा न हो जाए और पंजीकरण संख्या सृजित न हो जाए।

प्रश्न. 26. 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र है?

उत्तर - केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न. 27. मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ कैसे उठाऊं?

उत्तर - यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय "क्या आप परीक्षा के लिए निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ लेना चाहते हैं?" ('Do you wish to avail free rail travel pass for the exam') के अंतर्गत ड्रॉपडाउन से 'Yes' का चयन करना चाहिए और 'निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम' भरना चाहिए। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, ऐसा न करने पर टिकट आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना आवश्यक है।

प्रश्न. 28. मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के मामले में, उनके शहर सूचना पर्ची / ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (शयनयान श्रेणी रेलवे पास) होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने शहर की सूचना पर्ची / ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए सीईएन 09/2025 का पैरा 20.0 (e) देखें।

प्रश्न. 29. मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ।

उत्तर- इसकी जांच करें कि क्या स्कैन किया गया दस्तावेज पीडीएफ 'PDF' प्रारूप में हैं और माप 500 KB से कम है।

प्रश्न. 30. ईबीसी क्या है?

उत्तर - ईबीसी 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है अथवा बीपीएल कार्ड धारक अथवा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र के धारक हैं, या वे रेलवे द्वारा जारी (या) इज्जत एमएसटी धारक हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।

प्रश्न. 31. ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं?

उत्तर - ईबीसी उम्मीदवारों को 'शुल्क रियायत' दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 7.3 देखें।

प्रश्न. 32. मैं ईबीसी हूँ। अगर मेरे पास ईबीसी प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर - उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने से पहले विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक III (A) के अनुसार एक वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उनके पास अनुलग्नक III (A) के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उम्मीदवार अपने बीपीएल कार्ड का ब्यौरा या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी का ब्यौरा दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 7.3 देखें। ईबीसी प्रमाणपत्र / बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होना चाहिए और उसे दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

प्रश्न. 33. क्या ईबीसी के लिए पद आरक्षित हैं?

उत्तर - नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

प्रश्न. 34. इस सीईएन-09/2025 के लिए आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर - इस सीईएन संख्या 09/2025 के लिए आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि 01.01.2026 है। अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 09/2025 के पैरा 5.0, 5.1, 5.2, और 5.3 को देखें।

प्रश्न. 35. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति का दावा करने की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि (02.03.2026) तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उनका मूल जाति/समुदाय प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है को प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न. 36. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए मानदंड क्या है?

उत्तर - रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 8.13 देखें।

प्रश्न. 37. शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।

प्रश्न. 38. मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर - आप भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आपको इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (यानी 02.03.2027 को या उससे पहले) सेवामुक्त कर दिया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 10.2 को देखें।

प्रश्न. 39. मैंने पहले से ही पूर्व सैनिक के रूप में असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के लिए पूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूँ?

उत्तर - भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में केन्द्र सरकार के अधीन असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य असैन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का ही लाभ ही दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर ऐसे उम्मीदवारों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 10.0 से 10.5 देखें।

प्रश्न. 40. दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) किन्हें प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर - भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने पहले ही असैन्य रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेल कर्मचारी (एसआरई) और केन्द्र राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न. 41. पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्दिष्ट दिव्यंगता की बेंचमार्क डिग्री क्या है?

उत्तर - बेंचमार्क दिव्यंगता वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए दिव्यंगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। सीईएन संख्या 09/2025 का पैरा 11.0 से 11.7 को देखें।

प्रश्न. 42. क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर - पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं हैं, यदि वे सीईएन संख्या 09/2025 के अनुलग्नक-A (पोस्ट पैरामीटर) में दर्शाई गई उस पद के लिए दिव्यंगता के लिए उपयुक्त हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

प्रश्न. 43. मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूँ?

उत्तर - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता है या नहीं, यह प्रत्येक पद के सामने पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-A) में "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाया गया है।

प्रश्न. 44. स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर- 1. दृष्टिबाधित, चलने-फिरने में अक्षम (दोनों भुजाओं से प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी मानक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि वे चाहें तो उन्हें लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(C) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाद लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

2. अन्य श्रेणी की मानक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिसमें यह प्रमाणित हो कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(F) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाद लेखक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

3. जिन दिव्यांगजनों की विकलांगता 40% से कम है (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-वी(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक-वी(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

प्रश्न. 45. 'फीस की वापसी' के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर - केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार 'फीस की वापसी' (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के बाद) के लिए पात्र हैं, जैसा कि विस्तृत सीईएन संख्या 09/2025 के पैरा 7.0 के तहत दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न. 46. कृपया मुझे आरआरबी की 'रिफंड पॉलिसी' बताएं।

उत्तर - रिफंड पॉलिसी: भुगतान के साथ साथ आवेदक यह भी स्वीकार करता है और सहमत है कि किया गया भुगतान नॉन रिफंडेबल है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैंक का दावा नहीं कर सकते हैं। शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (विस्तृत सीईएन के पैरा 7.0 के अनुसार) केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जो सीबीटी में भाग लेंगे। गलत, अधूरे या अस्वीकृत आवेदनों और सीबीटी में गैर-उपस्थिति के लिए परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

प्रश्न. 47. आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ें?

उत्तर - 'Qualification' के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और 'ADD' बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न. 48. यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष उपलब्ध है, तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी चाहिए?

उत्तर- यदि किसी भी योग्यता प्रमाणपत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए, मई-2025 को 31-05-2025 के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

प्रश्न. 49. यदि जिला/राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?

उत्तर - वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य के लिए कुछ जिले नहीं दिखाए जाएंगे, यानी आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित किया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रश्न. 50. कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

उत्तर - सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा पास का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

प्रश्न. 51. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का माप क्या होना चाहिए?

उत्तर -

\* पीडीएफ प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र का माप 500KB से कम होना चाहिए।

\* जेपीईजी प्रारूप में फोटोग्राफ का माप 40 KB से 70 KB (न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन) के बीच होना चाहिए।

\* स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जेपीईजी प्रारूप में, 30 KB से 70 KB (न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन) के बीच के माप के होने चाहिए।

\* सभी आयाम 'Upload Profile Documents' पृष्ठ पर ही प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्रश्न. 52. मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर - फीस का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस के अलावा उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और जीएसटी भी लिया जाएगा।

प्रश्न. 53. मुझे कितनी फीस देनी होगी?

उत्तर - CEN संख्या: 09/2025 का पैरा 7.0 देखें।

प्रश्न. 54. भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं?

उत्तर - एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), अनुवाद परीक्षण (जैसा लागू हो) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और चिकित्सा परीक्षा (ME)। विस्तृत CEN संख्या: 09/2025 का पैरा 14.0 से 14.3 देखें।

प्रश्न. 55. एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए पैटर्न और सिलेबस क्या है?

उत्तर - कृपया विस्तृत सीईएन संख्या: 09/2025 के पैरा 14.1 देखें।

प्रश्न. 56. क्या निगेटिव मार्किंग होगी?

उत्तर - कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

प्रश्न. 57. मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी पसंद की भाषा कहां से चुननी चाहिए?

उत्तर - उम्मीदवार 'Personal Details' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।

प्रश्न. 58. क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?

उत्तर - हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं, उतने पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम दर्शाएँ। आवंटन के समय रिक्ति उपलब्धता के अधीन आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों पर केवल उन विशिष्ट रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जिन्हें उन्होंने चुना है। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है, तो उसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएँ प्रस्तुत करने के बाद, वे अंतिम होती हैं, और कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न. 59. आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर - CEN नंबर: 09/2025 के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

\* ईमेल: [rrb.help@csc.gov.in](mailto:rrb.help@csc.gov.in)

\* फोन: 9592001188, 0172-565-3333

प्रश्न. 60. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति आवेदन शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान पर पुष्टि प्राप्त होगी।

प्रश्न. 61. मेरे आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा?

उत्तर - आवेदनों की अस्वीकृति के कारण कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न. 62. क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ?

उत्तर - हाँ। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।